

पत्रांक—BMSIC/80050/47-2016 /3859

दिनांक—05/08/2024

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)

BMSICL, Patna.

सेवा में,

M/s Srinath Builders & Housing Co (P) Ltd.,

3G Floor, Anil Plaza G.S. Road,

Guwahati, Pin—781005

विषय— जी0एन0एम0, ए0एन0एम0 एवं पारामेडिकल प्रशिक्षण संस्थान—सह—छात्रावास अररिया का भवन निर्माण कार्य के एकरारनामा को विखंडित करते हुये कालीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग— इस कार्यालय का पत्रांक—BMSIC/80050/47-2016/2419 दिनांक—21.06.2024, उप महाप्रबंधक (परि0), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक—1085 दिनांक—29.05.2024, पत्रांक—998 दिनांक—09.04.2024, पत्रांक—946 दिनांक—13.03.2024, पत्रांक—865 दिनांक—31.01.2024, पत्रांक—148 दिनांक—09.01.2023, पत्रांक—107 दिनांक—09.12.2022, पत्रांक—6244 दिनांक—11.11.2020 एवं पत्रांक—BMSIC/80050/47-2016/1971 दिनांक—16.07.2019

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश दिनांक—24.03.2017 को निर्गत किया गया है।

विदित है कि एकरारनामानुसार विषयांकित परियोजना के कार्य पूर्ण करने की तिथि 24 माह अर्थात् दिनांक—23.03.2019 निर्धारित था, परन्तु लगभग 69 माह से अधिक समाप्त हो जाने के उपरांत भी भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। जिसके संबंध में संबंधित क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि0), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के द्वारा पत्रांक—1085 दिनांक—29.05.2024 के माध्यम से प्रदत्त अवधि विस्तार के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं करने तथा निर्माण कार्य बंद रखने के कारण आपसे स्पष्टीकरण पूछा गया, परन्तु इसके संबंध में आपके द्वारा अपना पक्ष समर्पित नहीं किया गया।

2. उक्त तथ्यों के आलोक में निगम के पत्रांक— BMSIC/80050/47-2016/4181 दिनांक—05.12.2018 के माध्यम से उपर्युक्त अनियमितता के लिए आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी परन्तु आपके द्वारा स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण निगम के पत्रांक— BMSIC/80050/47-2016/3753 दिनांक—27.09.2019 के माध्यम से पुनः स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसका जवाब भी आपके द्वारा समर्पित नहीं किया गया।

3. विदित हो पूर्व में ही आपके द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि दिनांक—23.03.2019 तक कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप निगम के द्वारा पत्रांक—BMSIC/80050/47-2016/1971 दिनांक 16.07.2019 से एकरारनामा के कंडिका—3.3 एवं 4.8 के अनुसार कार्य पूर्ण करने तक आपको किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जा चुका है, फिर भी कार्य के प्रति आपकी लापरवाही एवं शिथिलता यथावत् है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य में जानबुझ कर लापरवाही बरती जा रही है एवं सरकारी परियोजना के निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है, जो बहुत ही खेद का विषय है।



4. आपके फर्म को **डिबार** किये जाने के उपरांत भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है। साथ ही विषयांकित परियोजना के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु 05 बार अवधि विस्तार दिया गया है, जो निम्नवत् है:—(01) प्रथम अवधि विस्तार की तिथि:—02.10.2021 तक बिना विलंब दंड के (02) द्वितीय अवधि विस्तार की तिथि:—विस्तारित कार्यपूर्णता की तिथि 02.10.2021 को विस्तारित करते हुए दिनांक:—02.04.2022 तक बिना विलंब दंड के एवं आपके अनुरोध पर कार्य पूर्ण करने की विस्तारित अवधि दिनांक:—02.04.2022 को विस्तारित करते हुये दिनांक:—30.06.2022 तक विलंब दंड सहित (03) तृतीय अवधि विस्तार की तिथि:—30.06.2022 से 31.12.2022 तक विलंब दंड सहित (04) चतुर्थ अवधि विस्तार की तिथि:—31.12.2022 से दिनांक:—31.12.2023 तक विलंब दंड सहित (05) पंचम अवधि विस्तार की तिथि:—31.12.2023 से दिनांक:—30.09.2024 तक विलंब दंड सहित प्रदत्त होने के उपरांत भी आपके द्वारा अनावश्यक रूप से सभी कार्य बंद कर दिया गया है।

5. कार्य प्रारंभ नहीं करने के फलस्वरूप क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि0) पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक:— BMSIC/Pur-Div/1101, दिनांक:—05.06.2024 के माध्यम से संवेदक को कालीकृत कर सुरक्षित जमा राशि जब्त करने के साथ-साथ संपादित एकरारनामा को विखंडित कर संवेदक के Risk & Cost पर पुननिर्विदा करने की अनुशंसा की गई।

6. पुनः क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि0), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर समर्पित नहीं करने के फलस्वरूप निगम मुख्यालय के पत्रांक:— BMSIC/80050/47-2016/2419 दिनांक:—21.06.2024 के माध्यम से सात दिनों के अन्दर कार्य में घोर लापरवाही एवं शिथिलता के कारण क्यों नहीं आपको बिहार ठीकेदारी निबंधन नियामवली 2007 की कंडिका-11 (क) के आलोक में आपके Risk and Cost पर उक्त एकरारनामा को विखंडित करते हुये कालीकृत कर दिया जाय के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसका भी प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की समीक्षा तथा क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक(परि0) पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ से प्राप्त मंतव्य एवं एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3(iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14(iii) 14 (x) (b) के आलोक में आपके फर्म (**M/s Srinath Builders & Housing Co (P) Ltd., 3G Floor, Anil Plaza G.S. Road, Guwahati, Pin—781005**) के Agreement संख्या:— GNM,ANM & PM/SBD/31/2017-2018 दिनांक:—02.03.2017 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3(vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security को जब्त (Forfeited) करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से 03 (तीन) वर्षों के लिए बिहार ठेकेदारी निबंधन नियामवली 2007 के कंडिका-11(क) (ii) के आलोक में कालीकृत किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ज्ञापक:— BMSIC/80050/47-2016/3859

प्रतिलिपि:— मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) / महाप्रबंधक(परि0) / महाप्रबंधक(वित्त) / उप महाप्रबंधक (मु0), सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक(परि0), BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप महाप्रबंधक (परि0), BMSICL, पूर्णियाँ प्रमंडल को निदेशित करना है, कि एक सप्ताह के अन्दर इस परियोजना की अंतिम मापी संवेदक की उपस्थिति में कराकर अवशेष कार्य एवं कराये गये

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
दिनांक: 05/08/2024

कार्य का समेकित प्राक्कलन मुख्यालय को समर्पित करें, ताकि निविदा की प्रक्रिया कर अवशेष कार्य कराया जा सके।

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/47-2016/3859

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, अररिया को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)
दिनांक: 05/08/2024

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/47-2016/3859

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, अररिया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)
दिनांक: 05/08/2024

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/47-2016/3859

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, यथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)
दिनांक: 05/08/2024

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/47-2016/3859

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)
दिनांक: 05/08/2024

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/47-2016/3859

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक(सिस्टम), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक के कालीकृत लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)
दिनांक: 05/08/2024

मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)
दिनांक: 05/08/2024